

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (मध्यप्रदेश)**// विविध आदेश //**कमांक.....६३ /
दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 13/07/2022

श्रीमती संगीता मदान 10वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा का स्थानांतरण एवं पदोन्नति अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय इंदौर के पद पर होने तथा उनके स्थान पर किसी भी न्यायिक अधिकारी की पदस्थापना न होने के फलस्वरूप दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-408 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कॉलम नंबर-02 में दर्शित न्यायालय से कॉलम नंबर-03 में दर्शित सूची अनुसार प्रकरणों (महिलाओं से संबंधित अपराध (OAW)) को वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु कॉलम नंबर-04 में दर्शित न्यायालय में अंतरित किया जाता है:-

क.	न्यायालय का नाम जहां से प्रकरण की सूची प्राप्त हुई है.	प्रकरण का प्रकार एवं सूची कमांक	प्रकरण जिस न्यायालय को स्थानांतरित किया गया है.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	10वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा (रिक्त न्यायालय)	1. सत्र प्रकरण क.- 01 से 119 2. दांडिक अपील क.- 01 से 02 3. दांडिक पुनरीक्षण क.- 01 से 02 4. एम0जे0सी0आर0 क.- 01 से 03	श्रीमती पद्मा जाटव, चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा

sd/r
(सुबोध कुमार जैन)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क0.११.३३ /
दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 13/07/2022

प्रतिलिपि:-

1. चतुर्थ/10वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा को निर्देशित किया जाता है कि सूचीअनुसार प्रकरण यथाशीघ्र संबंधित न्यायालय की ओर/प्राप्त/प्रेषित करना /सुनिश्चित करें।
2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा (म0प्र0)।
4. जे0एस0ए0/डी0एस0ए0 कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा को संबंधित न्यायाधीशगण के ई-मेल एड्रेस में भेजने हेतु।

[Signature]
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)